तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	23/12/25 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों द्वारा [illegible] पीठासीन/P.O. सा० राज्य कार्य [illegible] होने से जनरल तारीख पेशी [illegible] आदेश की पालना में दिनांक 24/12/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर
24/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली में प्रति. सं. 1 का जवाब मौजूद है बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 26/12/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
26/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप.। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 23/9/25 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी प्रार्थी सं. 01 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया है कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी गण की सहखातेदारी भूमि है सहखातेदारी भूमि में संयुक्त खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। वाद तनाजा से संबंधित है जिसका निर्णय पर्याप्त साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर किया जाता है इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रा.प. खारिज फरमाया जावे।

[signature]

APP
Crll

म. 33 4-2000-10 लाख फा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

कमलेश बनाम ओपी सहाय

मुकदमा न 1 नं० 167/25 सन

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क किया है कि मूल वाद अभी तलबी एवं जवाब पर नियत है। दौरानेवाद भूमिवादग्रस्त का स्वरूप बदलने की संभावना रहती है। इसलिए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा confirm की जावें। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों का निस्तारण निम्नांकित बिन्दुओं पर किया जाता है- (1.) प्रथम दृष्टया मामला (2) अपूर्णीय क्षति (3) सुविधा का संतुलन (1) प्रथम दृष्टया मामला :- प्रतिवादी का कथन है कि अप्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता क्यों कि संयुक्त खातेदार का प्रत्येक इंच पर हिस्सा होता है। प्रार्थी द्वारा विरोध में वादग्रस्त भूमि का दौरानेवाद स्वरूप बदलने का तर्क किया है	

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रमोद सिंह बनाम ओमीश्याम (162/25)
	राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संयुक्त खातेदार हैं। संयुक्त खातेदार के मध्य तकासमा से किया जा सकता है, जो भी हाल ही पर्याप्त साक्ष्य पेश करने पर तकासमा हो सकता है परन्तु बाद के निर्णय होने तक संयुक्त खातेदार को उसके हिस्से की भूमि में काश्त करने से नहीं रोका जा सकता है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में तय नहीं होता है (2) अपूर्णीय क्षति एवं (3) सुविधा का संतुलन: उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है प्रकरण दावा तकासमा से संबंधित है जिसमें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार ही तकासमा किया जावेगा। अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रार्थी के नहीं है सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रा.प. अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है प्रकरण मे दिनांक 23/09/25 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा वैकेट की जाकर प्रा.प. अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाता है प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 26/12/25 उप खण्ड अधिकारी